अध्याय-V
वाणिज्य कर

अध्याय–V
वाणिज्य कर

5.1 कर प्रशासन

राज्य में वाणिज्य–कर[193] का आरोपण एवं संग्रहण, निम्नलिखित अधिनियमों एवं उसके अंतर्गत बने नियमावली के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं:

- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017;
- बिहार माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017;
- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017;
- बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993;
- बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948;
- बिहार होटलों में विलासिता पर करारोपण अधिनियम, 1988;
- बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948;
- बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर अधिनियम, 2011; एवं
- बिहार विज्ञापन पर कर अधिनियम, 2007।

शीर्ष स्तर पर, वाणिज्य कर विभाग का नेतृत्व राज्य कर आयुक्त द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता राज्य कर विशेष आयुक्त, राज्य कर अपर आयुक्त, राज्य कर संयुक्त आयुक्त और राज्य कर उपायुक्त/राज्य कर सहायक आयुक्त द्वारा की जाती है। क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य को नौ[194] प्रशासनिक प्रमंडलों, नौ[195] अपीलीय प्रमंडलों और नौ[196] अंकेक्षण प्रमंडलों में विभाजित किया गया है, जैसाकि वे मूल्य वर्द्धित कर अवधि में थे, प्रत्येक का नेतृत्व राज्य कर अपर आयुक्त द्वारा किया जाता है। नौ प्रशासनिक प्रमंडलों को आगे 50 अंचलों में उप–विभाजित किया गया है, प्रत्येक का नेतृत्व राज्य कर सहायक आयुक्तों की सहायता से राज्य कर संयुक्त आयुक्त/राज्य कर उपायुक्त द्वारा किया जाता है।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्श 2019–20 के दौरान लेखापरीक्षा ने वाणिज्य–कर विभाग के 90 इकाइयों में से सात इकाइयों[197] के अभिलेखों का नमूना–जाँच किया, जिसमें 403 मामलों में सन्निहित ₹737.41 करोड़ की अनियमितताएँ पाई गईं जो कि निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि **तालिका 5.1** में वर्णित है।

---

[193] *वाणिज्य–कर में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर, यात्रियों एवं वस्तुओं पर कर, विद्युत पर कर और शुल्क, आय एवं व्यय पर अन्य कर–पेशा, व्यापार, आजीविका एवं रोजगार पर कर तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शामिल हैं।*

[194] *भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।*

[195] *भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।*

[196] *भागलपुर, केन्द्रीय, दरभंगा, मगध, पटना पूर्वी, पटना पश्चिमी, पूर्णिया, सारण एवं तिरहुत।*

[197] *राज्य कर–आयुक्त पटना, कदमकुआँ, पाटलिपुत्र, पटना मध्य, पटना सिटी पश्चिम, पटना उत्तर एवं पटना दक्षिण।*

तालिका–5.1
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
कः बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्य वर्द्धित कर/केन्द्रीय माल एवं सेवाकर/राज्य माल एवं सेवाकर/एकीकृत माल एवं सेवाकर			
1.	कर का आरोपण नहीं एवं कम आरोपण किया जाना	28	2.67
2.	आवर्त्त का छिपाव किया जाना	72	328.40
3.	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक अनुमति दिया जाना	22	82.59
4.	अतिरिक्त कर एवं अधिभार का आरोपण नहीं या कम आरोपण किया जाना	03	6.81
5.	कर का गलत दर लगाया जाना	26	21.77
6.	आवर्त्त का गलत निर्धारण के कारण कर का कम आरोपण	03	19.93
7.	प्रवेश कर का अनियमित/गलत समायोजन	12	22.86
8.	कर का नहीं/कम भुगतान	15	18.74
9.	अन्य मामले	108	120.09
कुल		**289**	**623.86**
खः प्रवेश कर			
1.	आयात मूल्य के छिपाव के कारण प्रवेश कर का कम आरोपण	19	50.03
2.	प्रवेश कर का गलत दर लगाया जाना	08	7.77
3.	अन्य मामले	09	9.34
कुल		**36**	**67.14**
गः विद्युत शुल्क			
1	विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं/कम किया जाना	02	26.41
कुल		**02**	**26.41**
घः माल एवं सेवा कर			
1	माल एवं सेवाकर का आरोपण नहीं/कम किया जाना	76	20.00
कुल		**76**	**20.00**
कुल योग		**403**	**737.41**

वर्ष 2019–20 के दौरान, विभाग ने 782 मामलों में ₹52.59 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा 150 मामलों में ₹12.59 करोड़ की वसूली की जो कि 2019–20 के पूर्व इंगित किए गए थे। पूर्ववर्त्ती वर्षों के शेष मामलों एवं 2019–20 के सभी मामलों के उत्तर अप्राप्त हैं (अगस्त 2021)।

5.3 कटौतियों के गलत लाभ/दावा के कारण कर का कम आरोपण

कर–निर्धारण प्राधिकारी, व्यवसायियों द्वारा अमान्य कटौतियों के लाभ लिए जाने का पता लगाने में विफल रहे जिसके फलस्वरूप आरोप्य ब्याज सहित ₹1.10 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम की धारा 7 यह प्रावधित करता है कि अनुसूची–1 में निर्दिष्ट वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कोई कर देय नहीं होगा। पुनः, बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम की अनुसूची–1 के क्रम संख्या 76 सपठित एस.ओ. संख्या 325 दिनांक 05.12.2018 प्रावधित करता है कि राज्य में स्थित सेंट्रल कैंटीन द्वारा अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के उपयोग के लिए सामानों की खरीद/बिक्री पर कोई कर का भुगतान नहीं किया जाएगा, इस शर्त के अधीन कि कोई अधिकारी जो एक कमांडिंग ऑफिसर रैंक के नीचे का न हो, यह प्रमाणित करता है कि बिक्री/खरीद केंद्रीय बलों के किसी सदस्य के उपयोग के लिए की गई है और बेचे गये माल का पुनर्विक्रय नहीं किया जाएगा।

दो वाणिज्य कर अंचलों[198] में सितम्बर 2020 में कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच लेखापरीक्षा से पता चला कि दो व्यवसायियों ने 2016–17 की अवधि के दौरान अनुसूची–1 में शामिल वस्तुओं के लिए ₹42.74 करोड़ की कटौतियों का लाभ उठाया था, जबकि वे केवल ₹30.78 करोड़ कटौती के लिए योग्य थे। दो में से एक व्यवसायी ने छूट प्रमाण–पत्र के आधार पर कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट कैंटीनों को वस्तुओं के विक्रय के विरूद्ध कटौतियों का लाभ लिया, जो कि या तो कैंटीन अधिकारी अथवा उपाध्यक्ष अथवा कैंटीन प्रबंधक के द्वारा किये गये थे एवं कमांडिंग अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं थे। जबकि, अन्य मामले में, क्रेता व्यवसायी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में उद्घाटित क्रय की सूचना व्यवसायी के टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में उद्घाटित बिक्री की सूचना से मेल नहीं खाती थी, अतः अनुसूची–1 के वस्तुओं के विरूद्ध कटौती का दावा गलत था।

कर–निर्धारण प्राधिकारी, हालाँकि, कर–निर्धारण करते समय अमान्य कटौतियों के दावों का पता नहीं लगा सके। इसके फलस्वरूप ₹41.84 लाख के आरोप्य ब्याज सहित ₹1.10 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ, जैसाकि **परिशिष्ट–5.1** में दर्शाया गया है।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (अगस्त 2021) किया गया; उत्तर अप्राप्त।

5.4 कर के गलत दर के लगाये जाने के कारण कर का कम आरोपण

कर–निर्धारण प्राधिकारी कर के गलत दर के लगाये जाने का पता लगाने में असफल रहे जिसके फलस्वरूप ब्याज सहित ₹2.87 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 25(1) के प्रावधान के अनुसार, कर–निर्धारण प्राधिकारियों को कर के सही दर के लगाये जाने को सुनिश्चित करन हेतु वार्षिक रिटर्नों की संवीक्षा करनी होती है। पुनः, बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, की धारा 39(4) के प्रावधान के अनुसार संवीक्षा के उपरांत भुगतेय कर की राशि पाये जाने पर डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज आरोपित करना है।

पटना दक्षिण वाणिज्य कर अंचल में सितम्बर एवं अक्टूबर 2020 में कर–निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच लेखापरीक्षा से पता चला कि 2016–17 की अवधि के दौरान दो व्यवसायियों ने उनके स्व कर–निर्धारण एवं कर–निर्धारण प्राधिकारी ने तीसरे व्यावसायी के मामले में ₹24.21 करोड़ के विभिन्न वस्तुओं के बिक्री पर, 14.5 से 15 प्रतिशत के सही दर के बदले पाँच से 14.5 प्रतिशत के कम दर पर कर उत्तरदायित्व का निर्धारण किया।

कर–निर्धारण प्राधिकारी कर–निर्धारण करते समय कर के गलत दर के लगाये जाने का पता लगाने में विफल रहे, इसके फलस्वरूप ₹1.09 करोड़ के ब्याज सहित ₹2.87 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ, जैसाकि **परिशिष्ट–5.2** में दर्शाया गया है।

विभाग को मामला प्रतिवेदित (अगस्त 2021) किया गया; उत्तर अप्राप्त।

[198] *गाँधी मैदान और पटना दक्षिण*